

दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज निवास, दिल्ली में दिनांक 10 फरवरी 2020 को अपराह्न 5 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।
इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे।

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरुण कपूर

सदस्य

1. श्री के.विनायक राव
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेंद्र शर्मा
अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री कामरान रिज़वी
अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी
5. श्री विजेंद्र गुप्ता
विधायक और रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष
6. श्री सोमनाथ भारती
विधायक
7. श्री एस.के.बग्गा
विधायक

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.व.प्रा.

विशेष आमंत्रिती

1. डॉ. राजेश कुमार
प्रधान आयुक्त (आवास, सीडब्ल्यूजी एवं स्पोर्ट्स), दि.वि.प्रा.
2. डॉ. राजीव कुमार तिवारी
प्रधान आयुक्त (कार्मिक बागवानी और भू दृश्यांकन), दि.वि.प्रा.
3. श्रीमती डी.तारा
संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्री अमित कटारिया
भूमि और विकास अधिकारी (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)
5. श्री पी सी धसमाना
उपसचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

उप राज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार
उपराज्यपाल के प्रधान सचिव
2. श्रीमती चंचल यादव
उप राज्यपाल की विशेष सचिव
3. श्री अनूप ठाकुर
उप राज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 10/2020

दिनांक 2.1.2020 को राजनिवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2020/एमसी/दि.वि.प्रा.

दिनांक 2.1.2020 को दि.वि.प्रा. की बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

मद सं. 11/2020

दिनांक 2.01.2020 को राजनिवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

एफ.2(2) 2020/एमसी/दि.वि.प्रा.

दिनांक 2.01.2020 को हुई प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) के संबंध में प्राधिकरण के सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियां की।

श्री विजेंद्र गुप्ता

- i) श्री विजेंद्र गुप्ता ने अनुरोध किया कि गैर-निर्धारित क्षेत्रों के गोदामों में कृषि उत्पादों को साफ करने के लिए सोरटेक्स प्लांट लगाने की अनुमति दी जाए।

यह सूचित किया गया कि उद्योग विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या सोरटेक्ट प्लांट एक औद्योगिक कार्यकलाप है।

सोमनाथ भारती

- i) यद्यपि कालू सराय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भूमि के सीमांकन के संबंध में बैठक दिनांक 2.1.2020 को हुई थी इस संबंध में दिनांक 5.2.2020 को केवल स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को एक पत्र भेजा गया।
- ii) गुज्जर डेयरी के सामुदायिक भवन के संबंध में संरचनात्मक स्थिरता रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।
- iii) गुलमोहर पार्क के सामुदायिक केंद्र के निर्माण के संबंध में समय सीमा निर्धारित की जाए।
- iv) उनके निर्वाचन क्षेत्र में दि.वि.प्रा. के पार्कों में बच्चों के खेल उपकरणों और ओपन बैडमिंटन कोर्टों की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए साइट का संयुक्त निरीक्षण किया जाए।
- v) सामुदायिक केंद्र के विकास के लिए कुम्हार बस्ती में पहुंच मार्ग की सुविधा प्रदान करने के संबंध में इस मामले को प्राथमिकता आधार पर निपटाया जाए।
- vi) अधचीनी में सामुदायिक केंद्र के विकास के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए।

मद सं. 12/2020

दि.वि.प्रा. के फ्लैटों का कब्जा लेने में हुए विलंब और नामान्तरण में विलंब को विनियमित करने के लिए नीति/मार्गदर्शी सिद्धांत।

एफ1/0061/2019/कार्ड/हाउसिंग (समन्वय)

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 13/2020

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नरेला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निपटान के लिए ऑनलाइन योजना प्रारंभ करना।

एफ1/0032/2019/कोर्ड/हाउसिंग (समन्वय)

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 14/2020

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रमाणन के बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दि.वि.प्रा. की वार्षिक लेखाओं (खातों) को अपनाना।

एफ6(3)2019-20/ए/सीएस(एम) वार्षिक लेखा 2018-19/दि.वि.प्रा.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दि.वि.प्रा. के वार्षिक लेखों का प्राधिकरण द्वारा अनुसमर्थन किया गया।

मद सं. 15/2020

वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत लिए जाने वाले क्षति दरों का संशोधन।

एफ.1 (विविध) क्षति खाते/2016-17/पार्ट

एजेंडा में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

इस मुद्दे पर कि क्या क्षति दरों के लिए मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक है, यह स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2001-02 से पूर्व क्षति दरों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था और इन दरों को अनुमोदन के लिए कभी भी मंत्रालय को नहीं भेजा गया था। तथापि, एल एवं डी ओ ने दिनांक 5.9.2001 के पत्र द्वारा मंत्रालय का यह निर्देश सूचित किया कि दिविप्रा और एल एंड डीओ की दरें एक समान होनी चाहिए, इसके बाद दि.वि.प्रा., जाँच के लिए इन क्षतिदरों को भेजेगा और समय समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित दरों को मंत्रालय को उनके अनुमोदन के लिए भेजना शुरू किया। हालांकि, मंत्रालय ने किसी अनुमोदन की सूचना नहीं भेजी है।

मंत्रालय में हुई हाल ही की बैठक में दिविप्रा को यह जाँच करने के लिए कहा गया कि किस उपबंध/नियम के अंतर्गत उक्त अनुमोदन मंत्रालय से अपेक्षित है।

इस तथ्य को देखते हुए कि वर्ष 2001-2002 से पूर्व उक्त अनुमोदनों को कभी भी मंत्रालय को नहीं भेजा गया था यह प्रस्ताव किया गया कि प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित दरों को लागू किया जाए और मंत्रालय को तदनुसार सूचित किया जाए।

श्री सोमनाथ भारती ने दि.वि.प्रा. को कहा कि वे वर्षों से अतिक्रमण के अधीन नजूल-1 भूमि के भू-खंडों को विनियमित करने के लिए या अन्यथा कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए और उसके लिए तारीख भी निर्धारित करें।

मद सं. 16/2020

जहां संपत्ति को कई बार बेचा गया है ऐसे मामलों में अनर्जित वृद्धि की गणना की प्रक्रिया।

एफ1(26)2019/एलडी/समन्वय

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस मामले को दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए विचारार्थ और अनुमोदन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

मद सं. 17/2020

फैक्टरी रोड (अफ्रीका एवेन्यू रोड) नई दिल्ली में स्थित प्लॉट के भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में।

एफ 20(13) 2019/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इस मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद सं. 18/2020

प्लॉट संख्या 1,2,3,4,5,6,7 और 8 के भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में

एफ20(12)2019/एमपी

- क) यह प्रस्ताव संयुक्त सचिव (एल एवं ई), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सेंट्रल विस्टा विकास/पुर्नविकास परियोजना के प्रभारी, जो विशेष आमंत्रिती के रूप में उपस्थित थे, द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने परियोजना के विवरण प्राधिकरण के सभी सदस्यों को बताया।
- ख) संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया कि राजधानी सिटी- नई दिल्ली की योजना बनाने के समय वास्तुकार और शहरी डिजाइनर-एडवर्ड लुटियन और हरबर्ट बेकर ने पूरी नई दिल्ली के लिए एक शहरी डिजाइन योजना इस तरीके से तैयार की थी कि सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय सेंट्रल विस्टा (राजपथ) में रहेंगे। तथापि, वर्ष 1931 तक जब दिल्ली शासकीय रूप से भारत की राजधानी बन गई, तब केवल 5 भवनों का निर्माण किया गया था अर्थात्, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नार्थ एवं साउथ ब्लॉक और राष्ट्रीय अभिलेखागार का प्रथम भवन। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि सेंट्रल विस्टा में दाय भवनों को संरक्षित रखा जाएगा।
- ग) उन्होंने आगे यह भी सूचित किया कि इस परियोजना के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:
- इस परियोजना को लागू करने के दौरान किसी भी वृक्ष को काटा नहीं जाएगा। तथापि, कुछ वृक्षों को प्रतिरोपित किया जाएगा, जिसके लिए तकनीक उपलब्ध हैं।
 - नए पौधे लगाकर कुल वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।

- iii) 100% सी एवं डी अपशिष्ट को रि-साइकिल किया जाएगा और इस परियोजना में इसका उपयोग किया जाएगा।
- iv) संसाधनों का सर्वाधिक दक्ष प्रयोग करके और आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिक को अपनाते हुए सभी हरित भवनों की विशेषताओं का अनुपालन किया जाएगा।
- v) वर्षा जल संचयन संरचना और जल संरक्षण उपाय किए जाएंगे।
- vi) प्रस्तावित विकास में भूमिगत शटल के माध्यम से लोक/सरकारी कर्मचारियों की गणना करने के लिए विस्टा के दो मेट्रो स्टेशनों अर्थात् उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय को एकीकृत किया गया।
- vii) प्रस्तावित योजना में, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों को सेंट्रल विस्टा में ले जाया जाएगा जिसके द्वारा दिल्ली के विभिन्न भागों में फैली 47 केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/कार्यालय के भवनों तक आने जाने के लिए काफी हद तक आवा-जाही को कम किया जाएगा। इस प्रस्ताव के एक बार लागू हो जाने पर लुटियन बंगला जोन में और इस शहर में यातायात का प्रवाह सुगम हो जाएगा। इससे वाहनों से आना जाना कम हो जाएगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट, भीड़-भाड़, प्रदूषण और दुर्घटनाएं कम होगी।
- घ) जांच एवं सुनवाई बोर्ड (बी ओ ई एवं एच) की सिफारिशों और 06.02.2020 तथा 07.02.2020 को आयोजित बैठक में उठाए गए मुद्दों पर प्राधिकरण की बैठक में चर्चा की गई। सदस्य अभियंता, दि.वि.प्रा. एवं अध्यक्ष, जांच एवं सुनवाई बोर्ड ने बताया कि जैसा कि संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है प्रस्तावित परियोजना जनता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का काफी हद तक समाधान करेगी। उन्होंने सूचित किया कि जनता द्वारा की गई सभी आपत्तियों और सुझावों पर जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से विचार किया जाएगा। एल एवं डी ओ और दि.वि.प्रा. के योजना विभाग से संबंधित विभिन्न आपत्तियों और सुझावों पर इन संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा जवाब दिया गया और इसका विवरण रिकार्ड में उपलब्ध है। विस्तृत चर्चा के आधार पर जांच एवं सुनवाई बोर्ड ने प्लॉट सं.1 के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करने और प्लॉट सं.2 से 8 के संबंध में भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमति पर विचार करने की सिफारिश की।
- ड) निम्नलिखित तथ्यों पर संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पुनः व्याख्या की गई:
- i) प्रस्तावित विकास/पुनर्विकास के अन्तर्गत सेंट्रल विस्टा में कुल सार्वजनिक क्षेत्र को लगभग 100 एकड़ तक बढ़ाया जा रहा है। इसमें निम्न शामिल होंगे:
- प्रेंजिडेंट एस्टेट के पश्चिमी छोर पर 48.6 एकड़ भूमि में राष्ट्रीय जैव-विविधता वनस्पति वाटिका (एरबोरटम) प्रस्तावित है जिसमें विभिन्न 11 वनस्पति जोने में 1236 खतरनाक किस्मों को लगाया जाना है। यह सुविधा अनुसंधानकर्ताओं और आम जनता के लिए खुली रहेगी।
 - लगभग 27 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले नार्थ तथा साऊथ ब्लॉक को राष्ट्रीय संग्राहलय में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 1857 से पूर्व तथा बाद के भारत की इलक दिखायी जाए।

- स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए। यमुना नदी के पश्चिमी तट पर लगभग 25 एकड़ भूमि को ऑयकॉनिक संरचना के साथ नए भारत बागान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- ii) परियोजना में सेंट्रल विस्टा को जन सुविधाओं, हरित क्षेत्र, फब्बारों, लैंड स्केपिंग इत्यादि से विकसित/ पुनर्विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षेत्रफल मौजूदा क्षेत्र से अधिक रहेगा क्योंकि मौजूदा भवनों से लगा 5.6 एकड़ क्षेत्र हरित क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना जोन-सी में तिमरपुर स्थित 3.9 एकड़ क्षेत्रफल के प्लॉट सं.8, को भी दिल्ली के हरित स्थलों में जोड़ा जाना है।
 - iii) वर्तमान में हटमेंट्स के अन्तर्गत आने वाले 90 एकड़ क्षेत्र की भी उचित प्रकार से योजना बना कर संगठित शहरी स्थलों में विकसित किया जाए।
 - iv) जब जब और जहां अपेक्षित हो, भवन तथा सुविधाओं के लिए आवश्यक सभी अनुमोदन सक्षम प्राधिकारियों से लिए जाएंगे।
- च) दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 17.10.2017 को एक अधिसूचना सं. एस ओ 3348 (ई) जारी की गई है जिसमें दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)- 2021 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अनुमति है कि भूमि उपयोग जोन में 'सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं' (पीएसपी) के लिए परिसर का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए प्राधिकरण प्लॉट सं. 3,4,5 तथा 6 को अनुमत करने के लिए सक्षम है जो कि वर्तमान में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को आवासित करने के लिए पी एस पी भूमि उपयोग के अन्तर्गत है। इसमें प्लॉट सं. 3,4 और 6 में प्रत्येक में 1.88 एकड़ भूमि मनोरंजन पार्क (डिस्ट्रिक्ट पार्क) के रूप में निर्धारित की गई है।
- छ) अपर सचिव (डी), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि प्राधिकरण भूमि उपयोग के लिए मुख्य योजना में प्रस्तावित आशोधन करने के लिए सक्षम है क्योंकि ये मास्टर प्लान के चार्टर को नहीं बदलेगा क्योंकि ये सेंट्रल विस्टा में सरकारी भवनों को स्थानांतरित करने के 'लुटियन्स एण्ड बेकर्स' प्लान के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव भूमि उपयोग की सीमा तथा जनसंख्या की सघनता के मानकों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जैसा कि दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)- 2021 में परिकल्पना की गई है। अतएव, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 (क) (I) प्राधिकरण को विचाराधीन परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने इसकी आगे व्याख्या की और कहा कि यह संतुष्टि करने के पश्चात् कि प्राधिकरण अधिनियम को धारा II (क) (I) के अन्तर्गत सक्षम है, प्रस्ताव पर विचार किया गया और प्राधिकारियों को अनुमोदन के लिए भेजा गया।
- निर्णय: विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया जाता है:
- i) प्लॉट नं. 1 के भूमि के उपयोग को 'परिवहन' (बस टर्मिनल/पार्किंग) तथा 'मनोरंजनात्मक' से 'आवासीय' में परिवर्तन के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी और इस पर दि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा-11 (क) के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
 - ii) प्लॉट सं. 02 से 07 तक के संबंध में एल एवं डी ओ के भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। यह प्रस्ताव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को अनुमोदन/अधिसूचना के लिए भेजा जाए।

- iii) प्लॉट सं.8 के भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है और यह प्रस्ताव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को अनुमोदन/अधिसूचना के लिए अग्रेषित किया जाए।

मद सं. 19/2020

प्लानिंग जोन एफ भविष्य निधि इन्क्लेव मालवीय नगर, नई दिल्ली की लगभग 18411.684 वर्गमीटर माप वाली भूमि के उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' से 'आवासीय' में बदलने का प्रस्ताव एफ.20(03)/2019/एमपी

प्रस्ताव पर चर्चा हुई और यह उल्लेख किया गया कि उक्त साइट के भूमि उपयोग परिवर्तन से के.लो.नि.वि. क्षेत्र का पुनर्विकास निर्धारित भूमि उपयोग के अनुसार कर सकेगा। दिल्ली मुख्य योजना 1962 तथा 2001 के अनुसार इस क्षेत्र की भूमि का भूमि उपयोग 'आवासीय' था। तथापि, जोन एफ (2001) के जेड डी पी के अनुसार भविष्य निधि इन्क्लेव, मालवीय नगर को कवर करने वाले क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक" के रूप में दिखाया गया है।

अब ईपीएफओ मौजूदा क्वार्टरों को तोड़कर उस क्षेत्र का पुनर्विकास करने का इच्छुक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता ने प्रस्ताव की सराहना की। तथापि, श्री सोमनाथ भारती ने टिप्पणी की कि ए एस आई का क्लियरेंस के लिए जाए।

यह स्पष्ट किया गया कि के.लो.नि.वि. द्वारा क्लियरेंस किया जाना यदि अपेक्षित/अनुप्रयोज्य है तो ए एम आई से क्लियरेंस प्राप्त कर लिया जाएगा। एजेंडा के पैरा ख (xiii) की और भी ध्यान आकर्षित किया गया। जिसमें के.लो.नि.वि. ने सूचित किया कि " राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जैसे किसी सांविधिक निकाय से कोई आपत्ति/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है"

चर्चा और विचार-विमर्श के बाद दि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 11(क) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दे'

श्री सोमनाथ भारती

- i) दि.वि.प्रा. मोहल्ला क्लिनिको के लिए अस्थायी आबंटन के लए जीएससीटीडी के अनुरोध की जाँच करें।

माननीय उप-राज्यभाषा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

.....